दलित जातियाँ एवं सरकारी प्रयास

अनिता कुमारी

भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा कुछ जातियों को अनुसूचित किए जाने के पहले इन जातियों को 'बाह्य' (म्गजमतपवत) या 'दलित' (क्मचतमेमक) माना जाता था। किसी भी जाति को बाह्य या दलित मानने का आधार सामाजिक अयोग्यता एवं उसपर लागू होनेवाले प्रतिबन्ध थे।संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव आम्बेडकर दलितों के अधिकारों के संघर्ष का अग्रणी नेता थे और दलितों के अधिकारों सम्बन्धी उनके सभी सुझावों को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। आम्बेडकर ने आधुनिक में विशेषकर स्वतन्त्रता संघर्ष में अहम भूमिका अदा की। अनुसूचित जातियों ने व्यापक स्तर पर स्वतन्त्रता संघर्ष में लिया और शनैः–शनैः इस प्रक्रिया ने उन सुधारवादी आन्दोलनों का रूप धारण किया, जिन्होंने छुआछत की परम्परा तथा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होनेवाले शोषणों तथा दुर्व्यव्यहारों के विरुद्ध संघर्ष किया।